

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	11320/2024	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
2.	11310/2024	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृति
3.	10942/2023	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
4.	11308/2024	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
5.	11311/2024	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	11318/2024	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
7.	10957/2023	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
8.	10959/2023	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	11307/2024	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
10.	10956/2023	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
11.	11313/2024	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
12.	10953/2023	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
13.	10958/2023	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
14.	11302/2024	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	10952/2023	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	11309/2024	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
17.	P2/192/2024	1 (a)	हरदा	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
18.	P2/186/2024	1 (a)	हरदा	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
19.	P2/193/2024	1 (a)	हरदा	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
20.	P2/185/2024	1 (a)	हरदा	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

21.	P2/187/2024	1 (a)	हरदा	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को अग्रेषित पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
22.	P2/188/2024	1 (a)	हरदा	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
23.	P2/190/2024	1 (a)	हरदा	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
24.	11294/2024	1 (a)	शिवपुरी	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
25.	P2/191/2024	1 (a)	हरदा	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
26.	11291/2024	1 (a)	शिवपुरी	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
27.	P2/195/2024	1 (a)	हरदा	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
28.	P2/189/2024	1 (a)	हरदा	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
29.	11296/2024	1 (a)	अशोकनगर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
30.	11321/2024	1 (a)	नर्मदापुरम्	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
31.	11300/2024	1 (a)	नर्मदापुरम्	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
32.	11298/2024	1 (a)	नर्मदापुरम्	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
33.	11299/2024	1 (a)	नर्मदापुरम्	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
34.	माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ), भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. क्र. 50/2024 (प्रभात मोहन पाण्डेय वि. यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) एवं ओ.ए. क्र. 66/2024 (प्रभात मोहन पाण्डेय वि. यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) क्रमशः देवास, एवं हरदा जिले में स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत रेत खदानों से संबंधित हैं।					

1. प्रकरण क्र. 11320/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 46624 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित) रकबा 7.52 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 66, 75, ग्राम -मटियावली खुर्द, तहसील - मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वीं बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
  - (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
  - (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
  - (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 14.710 हे. में से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन योग्य क्षेत्र 7.52 हे. क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
  - (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
  - (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

2. प्रकरण क्र. 11310/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैन्युअल विधि), उत्पादन क्षमता 41385 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 13.35 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 01, ग्राम - बडेत्तार, तहसील - मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 24.90 हे. मे से SEAC द्वारा अनुशंसित खनन योग्य क्षेत्र 13.35 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्र. 10942/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि.म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 32400 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 883, ग्राम - बछरैठा, तहसील - मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्र. 11308/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 52200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 542, ग्राम - बड़ेरा, तहसील - मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनों ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 11311/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैन्युअल विधि), उत्पादन क्षमता 46560 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.13 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 1331, ग्राम - खेरिया सिंध, तहसील - मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 4.00 हे. मे से SEAC द्वारा अनुशंसित खनन योग्य क्षेत्र 03.13 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 11318/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 45900 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.16 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 22, ग्राम - पढ़ौरा-1, तहसील - रौन, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 5.00 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन योग्य क्षेत्र 4.16 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

7. प्रकरण क्र. 10957/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 56760 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 9.46 हेक्टेयर खसरा 1043,1103 ग्राम – मनगढ़, तहसील – रौन, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 580 मीटर पर पक्का मेजर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है, जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् कितना क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध रहता है एवं कितनी उत्पादन क्षमता का उत्खनन किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 10959/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 44850 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 8.97 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 01, ग्राम – देहमा-1, तहसील – रौन, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 24.00 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन योग्य क्षेत्र 8.97 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में 1 कि.मी. की दूरी उपरांत 50 मीटर का बफर जोन छोड़ते हुये खनन कार्य किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

9. प्रकरण क्र. 11307/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 79000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.16 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 1212/5, ग्राम – मूसावली, तहसील – मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेण्शियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 7.00 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन योग्य क्षेत्र 3.16 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 10956/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 66800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 13.36 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 181, ग्राम – दहेमा, तहसील – रौन, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 24.73 हे. में से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन योग्य क्षेत्र 13.36 हे. क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन सांक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 11313/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 76939 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुसंशित), रकबा 8.54 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुसंशित), खसरा 197/2, 200, 285 (नवीन नं. 205, 739) ग्राम - रेवाजा, तहसील - रौन, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशांसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशांसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 14.248 हे. में से SEAC द्वारा अनुशंसित खनन योग्य क्षेत्र 8.54 हे. क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में 1 कि.मी. की दूरी उपरांत 50 मीटर का बफर जोन छोड़ते हुये खनन कार्य किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. 10953/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 75000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 01, 02, ग्राम - महायर, तहसील - रौन, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वीं बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वीं बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोटेण्शियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 5.00 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन योग्य क्षेत्र 3.00 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 10958/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 18480 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.56 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 410, ग्राम - निवसाई रिडिया, तहसील - रौन, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 2.00 हे. मे से SEAC द्वारा अनुशंसित खनन योग्य क्षेत्र 1.56 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क्र. 11302/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 42960 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 02, ग्राम - महायर-2, तहसील - रौन, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वीं बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वीं बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. प्रकरण क्र. 10952/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 62000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम - मेंहदा, तहसील - रौन, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 485 मीटर पर पक्का मेजर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है, जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

*major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"* अनुसार रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् कितना क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध रहता है एवं कितनी उत्पादन क्षमता का उत्खनन किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

16. प्रकरण क्र. 11309/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री रमाकांत पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 53640 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.94 हेक्टेयर, खसरा 3349, 3355, 3402, 3403, 3405, ग्राम - भरौली खुर्द, तहसील - मेहगांव, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा. एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. P-2/192/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 66000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 22.00 हेक्टेयर, खसरा 1,1 ग्राम - उछान, तहसील - हांडिया जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. P-2/186/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 48000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1 ग्राम - अजनई, तहसील - हांडिया जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

19. प्रकरण क्र. P-2/193/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 36000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 6.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1 ग्राम – मालपोन, तहसील – हांडिया जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण क्र. P-2/185/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 48000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1 ग्राम – गोयत, तहसील – हांडिया जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

21. प्रकरण क्र. P-2/187/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1 ग्राम – मनोहरपुरा, तहसील – हांडिया जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. प्रकरण क्र. P-2/188/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 20.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1 ग्राम – हांडिया, तहसील – हांडिया जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

23. प्रकरण क्र. P-2/190/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 10.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1 ग्राम – लछौरा, तहसील – टिमरनी जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

24. प्रकरण क्र. 11294/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री बाला मेहरा, अधिकृत प्रतिनिधि पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

(म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 18026 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 12.650 हेक्टेयर, खसरा 1488 ग्राम – महोबा डामरौन, तहसील – पिछोर जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के बीचो-बीच एक रपटा रोड़ ब्रिज परिलक्षित है, जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान ***Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side*** अनुसार रपटा रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् कितना क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध रहता है एवं कितनी उत्पादन क्षमता का उत्खनन किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

25. प्रकरण क्र. P-2/191/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, अधिकृत प्रतिनिधि पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 180000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 15.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1 ग्राम – छिपानेर, तहसील – टिमरनी जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

26. प्रकरण क्र. 11291/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री बाला मेहरा, अधिकृत प्रतिनिधि मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (आपेनकास्ट मैनुअल विधि) उत्पादन क्षमता 10000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.10 हेक्टेयर, खसरा 181 ग्राम – छिन्तीपुर, तहसील – करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 300 मीटर पर पक्का मेजर रोड़ ब्रिज एवं 186 मीटर पर स्टॉप डेम स्ट्रक्चर परिलक्षित है, जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान *Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side*" अनुसार रोड़ ब्रिज एवं स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् कितना क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध रहता है एवं कितनी उत्पादन क्षमता का उत्खनन किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र. P-2/195/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 72000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 47 ग्राम – गोलूमालगुजारी – बी, तहसील – हांडिया जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध युनियन ऑफ

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

28. प्रकरण क्र. P-2/189/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री कैलाश पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 45000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 15.00 हेक्टेयर, खसरा 1, ग्राम पछौरा, तहसील - टिमरनी, जिला हरदा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वीं बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 66/2024 एवं ओ.ए. 55/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 एवं 02.05.2024 में निर्णय अनुसार परिपालन में प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

29. प्रकरण क्र. 11296/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री पुरुषोत्तम पटेरिया, अधिकृत प्रतिनिधि पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 16500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.50 हेक्टेयर, खसरा 194, ग्राम कुम्हरा, तहसील - मुंगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वीं बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

"परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 95 मीटर पर स्टॉप डेम स्ट्रक्चर परिलक्षित है, जिसके संबंध में SEAC द्वारा अपने कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान **Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil**

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

**structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side"** अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् कितना क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध रहता है एवं कितनी उत्पादन क्षमता का उत्खनन किया जा सकता है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

30. प्रकरण क्र. 11321/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री गोपाल सिंह, जूनियर मैनेजर (फील्ड) पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1,89,000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 10.00 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 207, ग्राम बान्द्राभान, तहसील - नर्मदापुरम्, जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 10.555 हे. मे से SEAC द्वारा अनुशंसित खनन योग्य क्षेत्र 10.00 हे. क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

31. प्रकरण क्र. 11300/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री गोपाल सिंह, जूनियर मैनेजर (फील्ड) पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3,06,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 17.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1, ग्राम पवारखेड़ा खुर्द, तहसील - बाबई, जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

32. प्रकरण क्र. 11298/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री गोपाल सिंह, जूनियर मैनेजर (फील्ड) पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 67000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.71 हेक्टेयर (SEAC द्वारा अनुशंसित), खसरा 141, ग्राम वहरावन, तहसील - वनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वी बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand 10959 Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 4.00 हे. मे से SEAC द्वारा अनुसंशित खनन योग्य क्षेत्र 2.71 हे. क्षेत्र मे ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

33. प्रकरण क्र. 11299/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., श्री गोपाल सिंह, जूनियर मैनेजर (फील्ड) पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 414000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 23.00 हेक्टेयर, खसरा 1/1, ग्राम पवारखेड़ा खुर्द, तहसील - बाबई, जिला नर्मदापुरम् (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 854-ए वी बैठक दिनांक 27.05.2024  
का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 754वीं बैठक दिनांक 19.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 754वीं बैठक दिनांक 19.05.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष


34. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ), भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. क्र. 50/2024 (प्रभात मोहन पाण्डेय वि. यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) एवं ओ.ए. क्र. 66/2024 (प्रभात मोहन पाण्डेय वि. यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) क्रमशः देवास, एवं हरदा जिले में स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन द्वारा स्वीकृत रेत खदानों से संबंधित हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उल्लेखित दोनों प्रकरणों में आगामी सुनवाई दिनांक 09.07.2024 नियत है। माननीय अधिकरण द्वारा ओ.ए. क्र. 50/2024 में दिनांक 12.03.2024 को पारित आदेश अनुसार निम्नानुसार संयुक्त समिति का गठन किया गया था :-


- (i) One Representative from the Madhya Pradesh State Environmental Impact Assessment Authority (MPSEIAA)
- (ii) One Representative from the MPSEAC
- (iii) One Representative from the Central Pollution Control Board,
- (iv) One representative from the Madhya Pradesh Pollution Control Board.

उक्त प्रकरण में दिनांक 02.05.24 को पारित आदेश अनुसार प्रकरण क्रमांक ओ.ए. क्रमांक 66/2024 (प्रभात मोहन पाण्डेय वि. यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य) में स्थल निरीक्षण कर प्रकरणों की वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल में प्रस्तुत किया जाना है। अतः दोनों ही प्रकरणों में उपरोक्तानुसार ही संयुक्त समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेशों के परिपालन में निर्णय लिया गया कि उक्त दोनों ही प्रकरणों में गठित संयुक्त समिति द्वारा यथाशीघ्र स्थल भ्रमण कर दिनांक 08.06.2024 के पूर्व प्रतिवेदन प्राधिकरण एवं सर्वसंबंधितों को प्रस्तुत किया जाये। उपरोक्तानुसार उक्त समितियों में SEIAA एवं SEAC द्वारा नामांकित सदस्य यथावत रहेंगे। तदानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एवं सदस्य सचिव SEAC को सूचित किया जाये।

  
(संजीव सिंह)  
सदस्य सचिव

  
(अनिल कुमार शर्मा)  
सदस्य

  
(अरुण कुमार भट्ट)  
अध्यक्ष